भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2467

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

2467. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के दावों का निपटान करने के लिए बीमा कंपनियों के लिए कोई मानदण्ड और समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को बीमा कंपनियों के विरुद्ध निर्धारित मानदंडों का पालन न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड•) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी बीमा कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ड•): सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावे के निपटान के मानदंड को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163क में निर्दिष्ट किया गया है। मुआवजा की राशि के संबंध में निर्णय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा किया जाता है जोकि सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र, आय/वेतन, पारिवारिक जिम्मेदारियां, जीवन प्रत्याशा और पूर्ववर्त्ती निर्णयों/दिशानिर्देशों इत्यादि पर आधारित होते हैं।

दावे की प्रक्रिया को केन्द्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2022 के नियम 150क के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। दावे की सूचना की प्राप्ति पर, बीमा कंपनी दावे का निपटान करने के लिए एक अधिकारी को नामोदिष्ट करती है जो दावेदार को एमएसीटी के समक्ष निपटान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते है। यदि दावेदार प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो एमएसीटी ऐसे निपटान को दर्ज करता है और इसे निपटाया गया मान लिया जाता है। बीमा कंपनियां निपटान के लिए ऐसे अभिलेख की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान करेंगी। यदि दावेदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो न्यायाधिकरण गुणावगुण के आधार पर मामले का अधिनिर्णय करता है।

अधिनियम की धारा 168 के अंतर्गत एमएसीटी द्वारा अधिनिर्णय पारित किए जाने पर बीमा कंपनी को दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की घोषणा किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अधिनिर्णीत पूरी राशि दावा अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पद्धति में जमा करना होगा।

मोटर दावे से संबंधित बीमा पॉलिसीधारक के शिकायतों को इरडाई के बीमा-भरोसा पोर्टल पर दर्ज किया जा सकता है। मोटर वाहन दावे (स्वयं की क्षति और तृतीय पक्ष) सहित पोर्टल पर दर्ज शिकायत के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	रजिस्टर किया हुआ
1.	2020-21	6,247
2.	2021-22	8,265
3.	2022-23	13,791
4.	2023-24 (नवम्बर, 2023 तक)	10,242

स्रोत: इरडाई

*****